

नाम न्यायालय **सपखण्ड अधिकारी**  
**विराटनगर (जयपुर)**

प्राथमिक पत्र

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही  
 Web Copy - Not Official

आज्ञा विस्तृत रूप से

विर

26-4-18 वकूलदास उरु उरु आडवे की पालन के दिग्गके 30.5.18 को पत्र के तब तक उरु आडवे प्रमाणी रहेगा।

**सपखण्ड अधिकारी**  
**विराटनगर (जयपुर)**

30.5.18

पत्रावली ब्याज आपने डार कार्रवाई 2018 के विगतत लोक अदालत/कुंभवादि में अलग सेवा केन्द्र गु.पं-आपलोदा इदी में प्रशुद्धी उरु पक्ष उपाधीत आप अयाधी सं 16519 प्राथमिक पत्र CFC 09 R7 प्रेष कर Ex posty set aside का निर्देशन दिनांक 18 अगस्त दिना में स्वीकार किया गया। साथ ही उरु पक्षों द्वारा शल वाद नि हारण तक दोनों पक्षों को पत्रों/कलाम निशेध का निर्देशन किया निवे स्वीकार कर उरु पक्षों को शल वाद नि हारण तक मौग एवं विधि की प्रपारसेवि बनाए रखने की कलाम निशेध का प्रेषण कर उरु पत्रावली नि हारण की कमी है। पत्रावली नंबर के कड धेर ल गाडिल प्रहण पर निर्देशन करण ए-आप उरुमा उरु।

शिखरदास  
 27.5.18



पीता...